

न्यायालय जिला कलेक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:- 12/21/2019

अपीलार्थी:-

आशीष अग्रवाल, 3/654 काला कुंआ
हा0बो0 अलवर।

प्रत्यर्थी:-

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0
जिला कलेक्टर (द्वितीय) अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

---:: निर्णय ::---

दिनांक:-30.04.2019

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6 (1) के तहत प्रस्तुत प्रा0पत्र दिनांक 02.01.2019 के संबंध में आवेदन में वर्णित बिन्दुवार सूचना चाही गई थी, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वाँछित सूचनाएँ दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 09.04.19 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त नहीं हुआ।
5. पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपील का कोई जवाब नहीं भिजवाया जिससे स्पष्ट है कि उनके द्वारा अपीलार्थी को वाँछित बिन्दुओं पर सूचना उपलब्ध नहीं कराई गयी है। साथ ही प्रकरण में अपील दायर होने के बाद भी प्रार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई, जो सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 में व्याप्त निर्देशों की अवेहलना की श्रेणी में आता है। लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि यदि चाही गई सूचना देयता की श्रेणी में आती है तो कोषाधिकारी, अलवर से सूचना प्राप्त कर नियमानुसार निःशुल्क उपलब्ध करवावें। अपील अपीलांत स्वीकार होने योग्य है।
6. निर्णय आज दिनांक 30.04.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(इन्द्रजीव सिंघ)
जिला कलेक्टर
अलवर (राजि0)